भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1998
दिनांक 31 जुलाई 2025

मध्य प्रदेश में पहल योजना

†1998. **श्री विष्णु दत्त शर्मा:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश में एलपीजी राजसहायता के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करने हेतु पहल योजना लागू कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करना सुनिश्चित किया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)-पहल योजना मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में राजसहायता के पारदर्शी और प्रभावी संवितरण हेतु जनवरी 2015 से लागू की गई है। पहल योजना के अंतर्गत, सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैर- राजसहायता मूल्य पर बेचे जाते हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता उनके बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है। लागू राजसहायता या तो आधार अंतरण अनुपालक (एटीसी) अथवा बैंक अंतरण अनुपालक (बीटीसी) मोड के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, पहल योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य के 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं सहित 30.63 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता नामांकित हैं।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिसमें कटनी, पन्ना और छतरपुर जिले शामिल हैं) के अंतर्गत कटनी, पन्ना और खजुराहो शहर में पहल योजना के अंतर्गत नकद अंतरण अनुपालक (सीटीसी) एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(ग) और (घ) पहल ने 'फर्जी' खातों, एक से अधिक खातों और निष्क्रिय खातों की पहचान करने में मदद किया है। इससे राजसहायता वाली एलपीजी के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिली है। यह लाभ पात्र और लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक और समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अगस्त 2021 से, डीबीटीएल के लिए राजसहायता भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रशासित किए जा रहे हैं। पीएफएमएस भारत सरकार के लिए एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली और भुगतान-सह-लेखा नेटवर्क स्थापित करके सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुगम बनाता है। पीएफएमएस, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में, वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।

पहल योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अपने एलपीजी वितरकों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता शिविर, आउटरीच अभियान चलाती हैं और पहल योजना के समावेशन को बढ़ावा देने और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सहायता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, पहल योजना के तहत एलपीजी राजसहायता स्थानतारण के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं।

*****

अनुलग्नक-क

लोकसभा में श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा पूछे गए "मध्य प्रदेश में पहल योजना" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1998 के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।

01.07.2025 तक खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना और खजुराहो शहर में पहल उपभोक्ताओं का विवरण

जिला	सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या	नकद हस्तांतरण अनुपालक (सीटीसी) उपभोक्ता
कटनी	3,45,277	3,25,628
पन्ना	2,17,061	2,13,585
छतरपुर	4,23,799	4,16,542

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल